



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265858
CG-DL-E-01092025-265858

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947

No. 552]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 596(अ).— केन्द्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 और आप्रवास (वाहक दायित्व) नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- परिभाषाएं.-- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) “अधिनियम” से आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) अभिप्रेत है;

- (ख) "बायोमेट्रिक्स सूचना" से किसी व्यक्ति का फोटो, फिंगर प्रिंट, आईरिस स्कैन या ऐसी अन्य जैविक विशेषताएं अभिप्रेत हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;
 - (ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से नियम 13 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
 - (घ) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (ङ) "निवास" से भारत में साधारण निवास स्थान अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय 2

आप्रवास से संबंधित मामले

3. आप्रवास अधिकारी के अन्य कार्य.- आप्रवास कार्यों के अतिरिक्त, आप्रवास अधिकारी निम्नलिखित अन्य कार्य भी करेगा, अर्थात्:-

- (क) ऐसे आप्रवास पोस्ट के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए आप्रवास पोस्ट पर कार्यों की नियमित रूप से निगरानी करना;
- (ख) आप्रवास धोखाधड़ी के मामलों की जांच करना;
- (ग) आप्रवास मामलों में विधि प्रवर्तन अभिकरणों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करना;
- (घ) आप्रवास से संबंधित डेटाबेस को एकत्रित करना और बनाए रखना; और
- (ङ) आप्रवास प्रक्रिया से गुजर रहे व्यक्तियों का मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

4. आप्रवास ब्यूरो के अन्य कार्य.- अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में उपबंधित कार्यों के अतिरिक्त, आसूचना ब्यूरो के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यरत आप्रवास ब्यूरो निम्नलिखित कार्य भी करेगा, अर्थात्:-

- (क) विदेशियों को रजिस्ट्रीकरण सेवाएं और अन्य वीजा संबंधी सेवाएं प्रदान करना;
- (ख) अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए आदेशों को लागू करना;
- (ग) विदेशियों की पहचान, आवागमन पर निर्बंधन और निर्वासन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करना;
- (घ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रबंधन करना तथा आप्रवास और विदेशियों से संबंधित मामलों पर डेटा का संरक्षक; और
- (ङ) आप्रवास और विदेशियों से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना।

5. आप्रवास ब्यूरो के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति.- (1) केन्द्रीय सरकार, आसूचना ब्यूरो के निदेशक की सिफारिशों पर, आप्रवास ब्यूरो के आयुक्त की नियुक्ति करेगी, जो आसूचना ब्यूरो का एक अधिकारी होगा।

(2) आप्रवास ब्यूरो के अधिकारी, जो आसूचना ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नियुक्त किए जाएंगे।

6. आप्रवास ब्यूरो के आयुक्त के अन्य कार्य.- आप्रवास ब्यूरो के आयुक्त में आप्रवास कार्यों के समग्र पर्यवेक्षण के अतिरिक्त, निम्नलिखित अन्य कार्य निहित होंगे, अर्थात्:-

- (क) आप्रवास ब्यूरो के प्रशासन, सतर्कता और प्रोविजनिंग संबंधी मामलें;
- (ख) आप्रवास ब्यूरो के वित्तीय मामलें; और
- (ग) नियम 3 और नियम 4 में निर्दिष्ट सभी मामलों और कार्यों की निगरानी और पर्यवेक्षण।

अध्याय 3

विदेशियों से संबंधित मामले

7. अन्य यात्रा दस्तावेज जारी करने की शर्तें.- (1) किसी भारतीय नागरिक को जारी किया गया कोई अन्य यात्रा दस्तावेज पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप होगा।

(2) किसी विदेशी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई अन्य यात्रा दस्तावेज, जिसके आधार पर कोई विदेशी भारत में प्रवेश कर सकता है या भारत से होकर पारगमन कर सकता है या भारत में रह सकता है या भारत से बाहर निकल सकता है, निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप होगा, अर्थात्: -

- (क) यह उस देश की सरकार द्वारा या उसकी ओर से जारी या नवीकृत किया गया हो जिसका वह व्यक्ति नागरिक है जिससे यह संबंधित है और इसकी विधिमान्यता अवधि के भीतर हो;
- (ख) यह कि उस पर उस व्यक्ति का फोटो लगा हो जिससे वह संबंधित है तथा यात्रा दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया हो; और
- (ग) उसके पास नियम 9 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया उचित श्रेणी का विधिमान्य वीज़ा होगा जो विदेशियों को भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने या पारगमन करने या रहने या निकास की अनुमति देगा।

8. पासपोर्ट जारी करने की शर्तें.- (1) किसी भारतीय नागरिक को जारी किया गया भारतीय पासपोर्ट, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप हो।

(2) किसी विदेशी सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई पासपोर्ट, जिसके आधार पर कोई विदेशी भारत में प्रवेश कर सकता है या भारत से होकर पारगमन कर सकता है या भारत में रह सकता है या भारत से बाहर निकल सकता है, निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप हो, अर्थात्: -

- (क) यह उस देश की सरकार द्वारा या उसकी ओर से जारी या नवीकृत किया गया हो, जिसका वह व्यक्ति नागरिक है, जिससे यह संबंधित है, और इसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर हो;
- (ख) इसमें उस व्यक्ति का फोटो लगाया हो जिससे यह संबंधित है, जिसे पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया हो, सिवाय उन मामलों के जहां पंद्रह वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसके माता-पिता में से किसी के पासपोर्ट में सम्मिलित किया गया हो; और
- (ग) उसके पास नियम 9 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त उचित श्रेणी का विधिमान्य वीज़ा हो जो विदेशी को भारत में प्रवेश करने या पारगमन करने या रहने या निकास की अनुमति देता हो, अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के उपबंधों के अधीन भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के पास भारत का विदेशी नागरिक कार्ड हो।

(3) उपनियम (2) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, -

(क) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के नागरिकों की कोई भी श्रेणी, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों की वीज़ा छूट स्कीम या वीज़ा उदारीकरण स्कीम के अधीन आती है, बशर्ते, उनके पास दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों का विधिमान्य वीज़ा समर्थन और संबंधित राष्ट्र का पासपोर्ट हो; और

(ख) किसी देश के नागरिक या नागरिकों का वर्ग या कोई भी विदेशी या विदेशी वर्ग या प्रकार का विदेशी जिसे अधिनियम की धारा 33 के अधीन पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज और वीज़ा की आवश्यकता से छूट दी गई है।

9. वीज़ा देने या रद्द करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी.- (1) किसी विदेशी को भारत में प्रवेश करने या पारगमन करने या रहने या निकास की अनुमति देने वाला वीज़ा निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी के द्वारा प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय सरकार में विदेश मंत्रालय, जिसमें विदेश स्थित भारतीय मिशन या दूतावास भी सम्मिलित हैं; या

(ख) आप्रवास ब्यूरो।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के आधार पर जारी किए गए वीज़ा को रद्द कर या उसकी अवधि कम कर सकते हैं।

10. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.-- (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, किसी अधिकारी को उसकी ओर से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) विदेशी विषयक क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विदेशी विषयक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और आप्रवास पोस्ट पर आप्रवास अधिकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य निष्पादित करेंगे।

(3) विदेशी विषयक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अधिनियम, नियमों, आदेशों और निदेशों के प्रयोजन के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त विदेशी विषयक क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के अधीन कार्य करेगा।

11. भारत में आने वाले विदेशियों के लिए आप्रवास केंद्र पर रिपोर्ट करने की शर्तें और रीति.- (1) भारत में आगमन पर प्रत्येक विदेशी को आप्रवास केंद्र पर अपना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज, और वीजा या भारत का विदेशी नागरिक कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार प्रस्तुत करना होगा, जिसका उद्देश्य नाम, राष्ट्रियता, आयु, लिंग और जन्म स्थान का सत्यापन करना होगा; और जब आप्रवास अधिकारी द्वारा मांग की जाती है, तो उसे भारत में पता या इच्छित पता, यात्रा का उद्देश्य और भारत में रहने की प्रस्तावित अवधि या कोई अन्य सुसंगत जानकारी देनी होगी।

(2) किसी विदेशी को, जिसकी बायोमेट्रिक जानकारी आप्रवास अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है, या जिसे उसके द्वारा बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है, आप्रवास पोस्ट पर ऐसा करना अपेक्षित होगा।

12. भारत में आने वाले विदेशियों के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण कराने की शर्तें और रीति.- (1) भारत में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन और वीजा सेवाओं के लिए, कोई विदेशी भारत में आगमन के चौदह दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करेगा-

(क) मोबाइल एप्लीकेशन, अर्थात् “भारतीय वीजा सुस्वागतम” या किसी नाम या नामों से, जो समय-समय पर ऐसे एप्लीकेशन को दिए जा सकते हैं, पर; या

(ख) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् <https://indianfro.gov.in> पर प्ररूप-I में :

परंतु यदि कोई विदेशी वीजा के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर भारत में प्रवेश करता है और यदि वह भारत में रहने का आशय रखता है, तो उसे आगमन पर रहने के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति से पहले रजिस्ट्रीकरण कराना होगा:

परन्तु यह और भी कि जहां भारत का कोई निवासी नागरिक भारत का नागरिक न रहने के कारण विदेशी हो जाता है, तो उसे भारत का नागरिक न रहने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराना होगा।

स्पष्टीकरण-- इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, वह तारीख, जिस दिन संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह गया समझा जाएगा, —

(क) जहां उसने स्वेच्छा से देशीकरण या रजिस्ट्रीकरण द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित की है, वहां ऐसे देशीकरण या रजिस्ट्रीकरण की तारीख;

(ख) जहां उसने किसी अन्य देश की सरकार से पासपोर्ट प्राप्त किया है, वह तारीख जिस दिन ऐसा पासपोर्ट प्राप्त किया गया था; या

(ग) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके संबंध में नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन यह अभिनिर्धारित करते हुए आदेश दिया गया है कि उसने किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख, होगी:

परंतु यह भी कि कोई विदेशी व्यक्ति एक सौ अस्सी दिन या उससे कम अवधि के लिए भारत में रहने के लिए विधिमान्य वीजा पर भारत में प्रवेश करता है और एक सौ अस्सी दिन की अवधि से अधिक भारत में रहना चाहता है, तो उसे भारत में अपने आगमन के एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति के बाद चौदह दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराना होगा:

परंतु यह भी कि ऐसे विदेशी के मामले में जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक अवधि के लिए भारत में रहने के लिए विधिमान्य वीजा पर भारत में प्रवेश करता है, इस शर्त के साथ कि 'प्रत्येक प्रवास एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगा' और जो किसी एक अवसर पर या एक कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर एक सौ अस्सी दिन की अवधि से अधिक भारत में रहना चाहता है, तो उसे उक्त एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण कराना होगा:

परंतु यह भी कि किसी विदेशी के मामले में जो किसी विनिर्दिष्ट देश का नागरिक है या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों से संबंधित है, जिसके लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए एक अलग समयरेखा विहित की गई है, ऐसा विदेशी उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकरण करेगा।

(2) भारत में विदेशियों से जन्मे बच्चों के संबंध में (जहां माता-पिता में से कोई एक या दोनों विदेशी हैं), संबंधित विदेशी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन पर नए वीजा की मंजूरी और निकास की अनुमति सहित वीजा सेवाओं के लिए जन्म के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बच्चे के जन्म की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देंगे।

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विदेशी से कोई अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है या विदेशी को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए तथा बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थान और समय पर बुला सकता है, जिसे वह निश्चित करे।

(4) निम्नलिखित के मामले में ऐसा रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होगा-

(क) कोई विदेशी जो एक सौ अस्सी दिन से कम की अवधि के लिए विधिमान्य वीजा पर भारत में प्रवेश करता है और जो उक्त अवधि से अधिक भारत में नहीं रहता है, जब तक कि वीजा पर पृष्ठांकन में विशेष रूप से यह अपेक्षा न की गई हो कि वह पृष्ठांकन में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारत आगमन पर स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराए;

(ख) एक विदेशी जो एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की अवधि के लिए भारत में रहने के लिए विधिमान्य वीजा पर भारत में प्रवेश करता है, इस शर्त के साथ कि 'प्रत्येक प्रवास एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगा' और जो किसी भी एक अवसर पर या एक कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर एक सौ अस्सी दिनों की अवधि से अधिक भारत में नहीं रहना चाहता है;

(ग) एक विदेशी जो बारह वर्ष से कम आयु का बच्चा है; और

(घ) नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7क के अधीन भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति।

(5) भारत का निवासी कोई भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक, जब भी उसके स्थायी आवासीय पते या व्यवसाय में कोई परिवर्तन होता है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित करना होगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए, भारत में किसी विदेशी का पता होगा -

(क) उसका निवास स्थान; या

(ख) यदि उसके पास कोई निवास नहीं है तो जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय रह रहा है, या जहां वह भारत आने के बाद पहली बार रहने का आशय रखता है :

परन्तु वह भारत में निवास करने वाले व्यक्ति या वास सुविधा चलाने वाले की पूर्व सहमति से ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भारत में उसके पते के रूप में रिपोर्ट कर सकेगा :

परन्तु यह और कि विदेशी को अपने वर्तमान पते की जानकारी ऐसे व्यक्ति या वास सुविधा चलाने वाले को देनी होगी :

परन्तु यह भी कि संबंधित व्यक्ति या वास सुविधा चलाने वाला, विदेशी से संबंधित अपने पास विद्यमान ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी मांग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आप्रवास अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो, द्वारा की जाए।

13. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.- (1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो जाने पर कि नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में अंतर्विष्ट विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं, विदेशी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वह अवधि दर्शाई जाएगी जिसके लिए विदेशी को भारत में रहने के लिए प्राधिकृत किया गया है और वीजा पर भारत में रहने के स्थान, यदि कोई हों, भी दर्शाए जाएंगे।

(3) ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करते समय, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस अवधि को भी निर्बंधित कर सकता है जिसके लिए विदेशी को भारत में रहने के लिए प्राधिकृत किया गया है और विदेशी के रहने के स्थानों को भी वीजा में विनिर्दिष्ट किसी भी स्थान तक सीमित कर सकता है।

(4) प्रत्येक विदेशी जिसे उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है -

(क) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में भारत में रहने के लिए स्थान या स्थानों का उल्लेख है तो वह किसी अन्य स्थान पर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसने ऐसे अन्य स्थान पर जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त नहीं कर ली हो;

(ख) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में भारत में रहने के लिए स्थान या स्थानों का उल्लेख है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे किसी स्थान पर अपने आगमन और वहां से प्रस्थान की सूचना, आगमन के चौबीस घंटे के भीतर या अपने इच्छित प्रस्थान से पूर्व, संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देगा; और

(ग) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में दर्शाई अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है, उक्त अवधि की समाप्ति से पहले भारत से प्रस्थान करना होगा।

14. पहचान के सबूत का प्रस्तुतीकरण.- (1) प्रत्येक विदेशी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आप्रवास अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो, द्वारा मांगे जाने के चौबीस घंटे के भीतर, ऐसे स्थान पर, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, अपना पासपोर्ट या अपनी पहचान के अन्य यात्रा दस्तावेज, जिनकी आवश्यकता हो, प्रस्तुत करना होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आप्रवास अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, उक्त पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों में, चौबीस घंटे की पूर्वोक्त अवधि को अधिकतम सात दिन तक बढ़ा सकेगा।

(2) भारत में प्रवेश करने वाला प्रत्येक विदेशी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या आप्रवास अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, अपना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज उस अधिकारी को सौंप देगा, तत्पश्चात् अपना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज वापस प्राप्त करने के लिए वह ऐसे समय और स्थान पर उपस्थित होगा जैसा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या आप्रवास अधिकारी निदेशित करे।

(3) जहां उपनियम (2) के अनुसरण में कोई विदेशी अपना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज समर्पित करता है, वहां वह, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या आप्रवास अधिकारी से पावती प्राप्त करने का हकदार होगा।

15. पते से अनुपस्थिति, पते में परिवर्तन या अन्य विवरणों में परिवर्तन की रिपोर्ट.- (1) यदि किसी भी समय, कोई विदेशी अपने पते से आठ सप्ताह या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए अनुपस्थित रहने का प्रस्ताव करता है या वह अपना पता परिवर्तित कर रहा है, तो वह जाने से पहले, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से छोड़ने के अपने आशय के बारे में, नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) यदि कोई विदेशी भारत से प्रस्थान कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्थान की तारीख की सूचना देनी होगी और यदि वह कहीं और जा रहा है तो पते में परिवर्तन की सूचना भी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को देनी होगी।

(3) प्रत्येक विदेशी, जो अपने पते वाले जिले के अलावा किसी अन्य जिले में किसी स्थान पर आठ सप्ताह से अधिक अवधि तक रहता है, वह नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस जिले के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।

(4) यदि विदेशी अपने पते वाले जिले से भिन्न जिले में आगमन से पूर्व उक्त जिले के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने प्रस्तावित आगमन और वहां से प्रस्थान की तारीखों की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर देता है तो उपनियम (3) की अपेक्षाएं पूरी हुई मानी जाएंगी।

(5) किसी विदेशी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पता परिवर्तित कर लिया है-

(क) यदि वह भारत से प्रस्थान करता है;

(ख) यदि वह भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना निवास स्थान परिवर्तित करता है;

(ग) यदि उसके पास कोई निवास स्थान नहीं है, वह यह जानते हुए अपना पता छोड़ देता है कि उसके वहां से जाने के आठ सप्ताह के भीतर उसके वहां वापस लौटने की संभावना नहीं है; या

(घ) किसी भी मामले में, जिस पर नियम 12 के उपनियम (6) का पहला परंतुक लागू होता है, यदि वह या संबंधित व्यक्ति या वास सुविधा चलाने वाला, जिसका पता उसका पता माना जाता है, उस नियम के उपनियम (6) द्वारा उन पर लगाए गए दायित्वों से मुक्त होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करता है या किसी भी समय उनका निर्वहन करने में विफल रहता है।

(6) प्रत्येक विदेशी व्यक्ति को अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में अभिलिखित विवरणों की सटीकता को किसी भी तरह से प्रभावित करने वाली किसी भी परिस्थिति का विवरण, परिस्थितियों के घटित होने के चौदह दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा और साधारणतया रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसी सभी जानकारी देनी होगी जो प्रमाणपत्र की सटीकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो।

16. विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्था या किसी अन्य संस्था द्वारा रिपोर्ट करने की रीति.- प्रत्येक विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्था, जिसमें स्कूल या कोई अन्य संस्था सम्मिलित है, जो भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक सहित, किसी विदेशी को, प्रवेश देती है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्ररूप II में अपनी संस्था में नामांकित विदेशी छात्रों के संबंध में उसमें उल्लिखित अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी प्रस्तुत करेगी, और यह छात्रावास में आवास प्रदान किए गए छात्रों के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले प्ररूप III के अतिरिक्त होगा।

17. वास सुविधा चलाने वाले द्वारा रिपोर्ट करने की रीति.- (1) प्रत्येक वास सुविधा चलाने वाला, अपने परिसर में आवास चाहने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक से, जिसके अधीन भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक भी है, यह अपेक्षा करेगा कि वह आवास पर पहुंचने पर और प्रस्थान के समय, अपने प्रस्थान की तारीख और समय तथा जिस पते पर वह जा रहा है, उसका विवरण अभिलिखित करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत करे, जिसे वास सुविधा चलाने वाले द्वारा कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित रखा जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो, द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे।

(3) वास सुविधा चलाने वाले द्वारा सभी विवरण अंग्रेजी भाषा में, यदि वह ऐसा करने में सक्षम हो, अन्यथा किसी भारतीय भाषा में अभिलिखित किए जाएंगे।

(4) यदि विदेशी अंग्रेजी भाषा नहीं समझता है, तो वास सुविधा चलाने वाले का यह कर्तव्य होगा कि वह विदेशी को इस नियम की आवश्यकताएं समझाए, यदि ऐसा अनुरोध किया जाए।

(5) आवास का रखवाला, किसी विदेशी के आगमन के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, किन्तु चौबीस घंटे के पहले, नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सम्यक् रूप से भरे गए प्ररूप III, जिसमें विदेशी द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण विनिर्दिष्ट हों, की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करेगा।

(6) प्रस्थान का विवरण भी, नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विदेशी के प्रस्थान के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यथासंभव शीघ्र, किन्तु अधिकतम चौबीस घंटे के पहले प्रेषित किए जाएंगे।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “आवास” में कोई बोर्डिंग हाउस, क्लब, डाक बंगला, विश्राम गृह, छात्रावास, पेइंग गेस्ट हाउस, सराय, किराए का आवास, होम स्टे, टेंट, अस्पताल या समान प्रकृति का कोई अन्य परिसर, धार्मिक संस्थानों के परिसर, धर्मार्थ न्यासों, किन्हीं अन्य न्यासों, सार्वजनिक संगठनों या सामाजिक या धार्मिक या सार्वजनिक प्रकृति के किन्हीं अन्य संगठनों या अस्तित्वों के, सुसज्जित या असज्जित परिसर, सम्मिलित होंगे; और

(ख) “हस्ताक्षर” में ऐसे विदेशी के संबंध में, जो लिखने में असमर्थ है, अंगूठे का निशान या अन्य चिह्न लगाना सम्मिलित है, जिसके माध्यम से वह किसी दस्तावेज़ को प्रमाणित करने का अभ्यस्त है।

18. अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा रिपोर्ट करने की रीति—(1) प्रत्येक अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा, जो अपने परिसर में चिकित्सा, आवास या शयन सुविधा प्रदान करता है, प्रत्येक विदेशी नागरिक से, जिसमें भारत का कार्डधारक विदेशी नागरिक भी सम्मिलित है, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में आगमन पर आवश्यक विवरण प्रस्तुत करे और हस्ताक्षर करे, तथा प्रस्थान के समय प्रस्थान की तारीख और समय तथा वह पता, जहां वह जा रहा है, प्रस्तुत करे, जिसे अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरक्षित रखा जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबल के पद से निचे का न हो, द्वारा मांग किए जाने पर, निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे।

(3) सभी विवरण अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अंग्रेजी भाषा में, यदि वह ऐसा करने में सक्षम हो तो, अन्यथा, किसी भारतीय भाषा में दर्ज किए जाएंगे।

(4) यदि विदेशी अंग्रेजी भाषा नहीं समझता है, तो अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान के प्रभारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह विदेशी को इस नियम की आवश्यकताओं के बारे में समझाए यदि ऐसा अनुरोध किया जाए।

(5) अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान का प्रभारी व्यक्ति, विदेशी के आगमन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, किन्तु चौबीस घंटे के पहले, विदेशी द्वारा दिए गए विवरणों को निर्दिष्ट करते हुए, विधिवत भरे हुए प्ररूप III की एक प्रति, नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा।

(6) प्रस्थान विवरण भी, विदेशी के प्रस्थान के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, किन्तु चौबीस घंटे के अपश्चात्, नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा।

(7) प्रत्येक अस्पताल, नर्सिंग होम या कोई अन्य चिकित्सा संस्थान, विदेशियों (माता-पिता में से कोई एक या दोनों विदेशी हों) से जन्मे किसी बच्चे या उनके स्थान पर किसी विदेशी की मृत्यु के संबंध में, यथास्थिति, जन्म या मृत्यु की घटना के सात दिनों के भीतर, नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराएगा।

19. किसी विदेशी का नाम परिवर्तन—(1) कोई विदेशी, जो अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अपना नाम परिवर्तित कराना चाहता है, उसे अपने नाम परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से विशिष्ट अनुमति प्राप्त करनी होगी और नाम परिवर्तन के लिए नियम 12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप IV में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की विधिवत जांच करने के पश्चात्, विदेशी के नाम परिवर्तन की अनुमति दे सकेगा।

20. विदेशियों को या उनके लिए वस्तुओं के प्रेषण पर प्रतिबंध—मादक पेय, मादक पदार्थ, विस्फोटक और जहरीली वस्तुएं, किसी भी प्रकार के हथियार, सैटेलाइट फोन, कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं या कोई अन्य वस्तु, जो सिविल प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित हो, किसी बाहरी स्थान से, किसी विदेशी को या उसके लिए नहीं भेजी जाएगी, जिसके क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन आदेश द्वारा प्रतिबंधित हैं।

21. विदेशियों के बार बार आने वाले स्थानों को नियंत्रित करने के लिए सिविल प्राधिकारी की शक्ति के प्रयोग की शर्तें-
 (1) सिविल प्राधिकारी, किसी भी परिसर के स्वामी या रखवाले जहाँ विदेशी बार बार आते हैं, को निदेश दे सकेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में कोई भी परिसर, जिसका उपयोग परिसर में उपभोग किए जाने वाले जलपान की बिक्री के लिए या सार्वजनिक समागम या मनोरंजन के स्थान के रूप में, या क्लब के रूप में किया जाता है और जहाँ हाल ही में विदेशियों का बार बार आना जाना रहा है या किसी अवैध प्रवासी को ठहराने के लिए उपयोग किया गया है, को, या तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा या ऐसे समय के दौरान या ऐसे उद्देश्यों के लिए बंद रखा जाएगा, जैसा उसके द्वारा अपेक्षित हो, यदि उसकी राय में—

- (क) परिसर में इस प्रकार आने वाला विदेशी अपराधी है या गैरकानूनी संगठन का सदस्य है या अन्यथा अवांछनीय है ;
- (ख) परिसर अव्यवस्थित या अनुचित तरीके से संचालित होता है, या सार्वजनिक हित के प्रतिकूल तरीके से संचालित होता है ; या
- (ग) परिसर में रहने वाला विदेशी अवैध प्रवासी है ।

(2) जहाँ किसी परिसर को उपनियम (1) के अधीन बंद कर दिया गया है, वहाँ अधिभोगी या परिसर पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र के सिविल प्राधिकारी की सहमति के बिना किसी अन्य परिसर पर अधिभोग या नियंत्रण नहीं करेगा, जिसका उपयोग जलपान की बिक्री, या सार्वजनिक समागम या मनोरंजन स्थल, या क्लब के रूप में किया जाता है ।

(3) कोई पुलिस अधिकारी, यदि सिविल प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो, तो आवश्यक होने पर ऐसे किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा या अधिभोग कर सकेगा, जिसके संबंध में सिविल प्राधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन निदेश दिए गए हैं ।

(4) सिविल प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी भी निदेश की सूचना तत्काल केंद्रीय सरकार को दी जाएगी ।

(5) सिविल प्राधिकारी द्वारा दिए गए निदेश से व्यथित कोई भी स्वामी या रखवाला अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अवैध प्रवासी का वही अर्थ होगा, जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में दिया गया है।

अध्याय 4

वाहकों का दायित्व

22. वाहक का कुछ सूचना प्रदान करने का दायित्व--(1) भारत से, भारत के बाहर किसी विमानपत्तन के लिए प्रस्थान या विमान में चढ़ने वाली, भारत के बाहर किसी विमानपत्तन से भारत में आगमन या लैंडिंग करने वाली एयरलाइन का देश प्रतिनिधि या स्टेशन प्रबंधक, सिविल प्राधिकारी या आप्रवास अधिकारी को निम्नलिखित सूचना प्रदान करेगा, अर्थात् :—

- (क) प्ररूप V में यात्री और चालक दल का विवरण ;
- (ख) भारत के बाहर विमान में चढ़ने के पत्तन से विमान के रवाना होने या विमान से उतरने के पंद्रह मिनट के भीतर अग्रिम यात्री सूचना डेटा , और भारत के भीतर बोर्डिंग के बंद होने पर या विमान से उतरने के पश्चात्, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के उपाबंध-9 (सुविधा) के अनुसार, डेटा फ़ील्ड और डेटा प्रारूप UNEDIFACT-PAXLST सहित यात्री सूचना (नाम, लिंग, जन्म की तारीख और राष्ट्रियता) और

पासपोर्ट और वीज़ा (प्रकार, संख्या, जारी करने और समाप्ति तारीख), उड़ान और यात्रा की सूचना सहित यात्रा दस्तावेज़ सूचना ;

- (ग) अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के उपाबंध-9 (सुविधा) के अनुसार भारत में आगमन या भारत से प्रस्थान के लिए टी-72 घंटे, टी-24 घंटे, टी-08 घंटे और टी-0 घंटे पर यात्रियों के यात्री नाम रिकॉर्ड डेटा, जहां टी, यथास्थिति, भारत में आगमन या भारत से प्रस्थान का निर्धारित समय है, डेटा फ़ील्ड और डेटा प्रारूप UNEDIFACT-PNRGOV, जिसमें यात्री सूचना (नाम, लिंग, जन्म की तारीख और राष्ट्रीयता), पासपोर्ट और वीज़ा की यात्रा दस्तावेज़ सूचना (प्रकार, संख्या, जारी करने की तारीख और समाप्ति), यात्रा और भुगतान सूचना, उड़ान और यात्रा सूचना सम्मिलित है।

- (2) भारत से, भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए प्रस्थान करने या चढ़ने वाले तथा भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान से भारत में आगमन करने या बर्थिंग करने वाले जलयान (कार्गो या क्रूज या सामान्य संचलन चार्टरित जहाज) का देश प्रतिनिधि या मास्टर, सिविल प्राधिकारी या आप्रवास अधिकारी को, टी-72 घंटे पर, जहां टी भारत में आगमन या भारत से प्रस्थान का निर्धारित समय है, प्रारूप VI के अनुसार यात्री सूची और चालक दल सूची उपलब्ध कराएगा।

23. वाहक द्वारा अपील की रीति--(1) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) और धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी अपील वाहक या उसके अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा, नियम 12 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रीति में, प्रारूप VII में आप्रवास ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक रीति या ऐसे अन्य रीति के माध्यम से पाँच हजार रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।

- (2) अपील प्राप्त होने पर, आप्रवास ब्यूरो के आयुक्त, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, एक तर्कसंगत आदेश पारित करेंगे और सामान्यतः अपील प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर कार्यवाही पूरी करने का प्रयास करेंगे।

24. सूचना प्रदान करने के लिए वाहक का दायित्व--प्रत्येक वाहक, जब आवश्यक हो, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को या जहां पुलिस आयुक्त नहीं है, पुलिस अधीक्षक या सिविल प्राधिकारी या आप्रवास अधिकारी को, यथास्थिति, प्रारूप V या प्रारूप VI में यात्री और चालक दल के बारे में सूचना प्रदान करेगा।

25. वाहक द्वारा आप्रवास अधिकारी को दी जाने वाली सामान्य घोषणा--(1) प्रत्येक वाहक, उड़ान, जलयान या परिवहन के अन्य साधन के प्रस्थान से पूर्व, जहां डी निर्धारित प्रस्थान समय है, डी-45 मिनट पर, आप्रवास अधिकारी को प्रारूप VIII में एक सामान्य घोषणा प्रस्तुत करेगा।

- (2) वाहक द्वारा भारत में किसी पत्तन से किसी भी उड़ान, जलयान या परिवहन के अन्य साधन को तब तक प्रस्थान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक आप्रवास अधिकारी ऐसी सामान्य घोषणा पर स्वीकृति नहीं दे देता है।

प्ररूप ।

[नियम 12(1)(ख) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

नवीनतम फोटो

व्यक्तिगत विवरण	
उपनाम (पासपोर्ट में दिए गए अनुसार) :	
दिया गया नाम (पासपोर्ट में दिए गए अनुसार) :	
राष्ट्रीयता :	
पासपोर्ट संख्यांक :	
जन्म की तारीख :	
फ़ोन नंबर :	
ईमेल :	
जन्म स्थान :	
पूर्व राष्ट्रीयता (यदि कोई हो) :	
वर्तमान राष्ट्रीयता प्राप्त करने की रीति :	
वर्तमान राष्ट्रीयता प्राप्त करने की तारीख : (दिन/माह/वर्ष)	
क्या दोहरी राष्ट्रीयता है ?	नहीं हां
क्या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं?	नहीं हां
अंतिम निवास का पता (भारत के बाहर)	
पता :	
शहर :	
देश :	
भारत में लंबे समय तक रहने के लिए इच्छित पता (रजिस्ट्रीकरण)	
पता	
राज्य	

शहर/ज़िला	
देश	
पिन कोड	
फ़ोन नंबर	
मोबाइल नंबर	
भारत में कोई अन्य पता	<input type="text"/> (यदि चेक बॉक्स चेक किया गया है तो अनिवार्य होना चाहिए)
पता	
राज्य	
शहर/ज़िला	
देश	
पिन कोड	
फ़ोन नंबर	
मोबाइल नंबर	
संगठन/कंपनी/संस्थान/अस्पताल का विवरण	
नाम	
पता	
फ़ोन नंबर	
ईमेल	
भारत में पिछले रजिस्ट्रीकरण (यदि कोई हो) का विवरण	
परिवार के सदस्यों/परिचारकों/आश्रितों का विवरण, यदि कोई साथ आ रहा है	
यदि कोई आपके साथ आ रहा है, नहीं हां	
व्यक्ति, जिससे आपात स्थिति में संपर्क किया जाना है	
नाम	
संबंध	
पता	
शहर	
देश	
फ़ोन नंबर	
क्या आपने किसी देश की सेना/नौसेना या वायु सेना या आरक्षी बल में सेवा की है?	
नहीं हां	
(हां पर क्लिक करने के पश्चात्, संगठन, पदनाम, अंतिम पोस्टिंग का स्थान भरें)	

प्ररूप II

[नियम 16 देखिए]

विदेशी छात्र सूचना प्रणाली

[पूर्वतर प्ररूप 'क']

नवीनतम फोटो

छात्र सूचना (प्रवेश के समय से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करनी होगी)	
पासपोर्ट संख्या	
वीज़ा संख्या/ओसीआई संख्या	
उपनाम	
दिया गया नाम	
जन्म की तारीख	
राष्ट्रियता	
फ़ोन नंबर	
ईमेल आईडी	
भारत में पता	
एसआईआई पोर्टल संख्या (जहां लागू हो)	
संस्था प्रवेश संख्या	
संस्था में प्रवेश की तारीख	
प्रायोजक अभिकरण (यदि लागू हो)	
पाठ्यक्रम विवरण (प्रवेश के समय से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा)	
पाठ्यक्रम का नाम	
पाठ्यक्रम पैटर्न :	गैर-सेमेस्टर/सेमेस्टर/अल्पकालिक
पाठ्यक्रम अवधि :	तारीख से : तारीख तक :
फीस संरचना	

एफआरआरओ में रजिस्ट्रीकरण	
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या	
पाठ्यक्रम में परिवर्तन का विवरण	
पाठ्यक्रम का नाम	
पाठ्यक्रम पैटर्न :	गैर-सेमेस्टर/सेमेस्टर/अल्पकालिक
पाठ्यक्रम अवधि :	तारीख से : तारीख तक :
फीस संरचना	
शैक्षणिक प्रदर्शन प्रविष्टि (सेमेस्टर-वार प्रस्तुत किया जाना है ; उपस्थिति विवरण अर्धवार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है)	
उपस्थिति :	नियमित/अनियमित
आयोजित परीक्षा :	हां/नहीं
परिणाम :	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण
छात्र का सामान्य आचरण :	अच्छा/बुरा
आचरण संबंधी विवरण दर्ज करें :	टिप्पण प्रविष्टि
पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए अर्हक :	हां/नहीं
निकास प्रविष्टि (छात्र के संस्थान से निकास का विवरण (पाठ्यक्रम पूरा होने/संस्थान/पाठ्यक्रम से निकास की तारीख से 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)	
छात्र के निकास की सूचना	तारीख :
निकास का कारण :	छात्र द्वारा पाठ्यक्रम पूरा किया/छोड़ा गया/निष्कासित किया गया

प्ररूप III

[नियम 16, 17 (5) और 18(5) देखिए]

[पूर्वत्तर प्ररूप 'ग']

आवास रक्षक और अस्पताल, नर्सिंग होम तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों द्वारा आवासित या भर्ती किए गए विदेशियों पर रिपोर्ट

नवीनतम फोटो

1. उस परिसर का नाम और पता जहां आवास उपलब्ध कराया गया है :	
2. ठहरने के स्थान का फ़ोन/मोबाइल नंबर	
विदेशी का विवरण	
i) विदेशी आगंतुक का पूरा नाम : (जैसा पासपोर्ट में दिया गया है)	
ii) राष्ट्रियता	
iii) पासपोर्ट संख्या	
iv) वीज़ा विवरण :	
वीज़ा संख्या /ओसीआई संख्या	
प्रकार	
v) भारत में संपर्क फ़ोन	
vi) ईमेल आईडी	
vii) अन्य विवरण/टिप्पणियाँ	
आगमन विवरण (चेक-इन समय)	
i) आगमन स्थान	
ii) आगमन तारीख	

iii) आगमन समय	
iv) यात्रा का प्रयोजन :	पर्यटन <input type="text"/> कारोबार <input type="text"/> नियोजन <input type="text"/> चिकित्सा <input type="text"/> छात्र <input type="text"/> सम्मेलन <input type="text"/> अन्य <input type="text"/> विवरण <input type="text"/>
v) ठहरने का पिछला स्थान	
प्रस्थान विवरण (चेक-आउट समय)	
i) प्रस्थान तारीख	
ii) समय	
iii) अगला गंतव्य/आगे जाने का स्थान	
अस्पतालों द्वारा विदेशियों के जन्म और मृत्यु की सूचना (07 दिनों के भीतर)	
विदेशियों से जन्मे किसी भी बच्चे (चाहे माता-पिता में से कोई एक या दोनों विदेशी हों) के संबंध में सूचना :	
उनके स्थान पर किसी भी विदेशी की मृत्यु के संबंध में सूचना ।	

प्ररूप IV

[नियम 19(1) देखिए]

नाम परिवर्तन हेतु आवेदन

नवीनतम फोटो

1. पुराने पासपोर्ट के अनुसार नाम	
2. पुराना पासपोर्ट क्रमांक, वैधता सहित	

3. नया नाम	
4. वैधता सहित नया पासपोर्ट क्रमांक, यदि कोई हो,	
5. वीज़ा का प्रकार	
6. ईमेल	
7. मोबाइल नंबर	
8. भारत में पता	
9. नाम परिवर्तन का कारण	
नाम परिवर्तन के समर्थन में दस्तावेज़	
i) नाम परिवर्तन का समर्थन करने वाला दूतावास से पत्र	
ii) मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नाम परिवर्तन दस्तावेज़	
iii) भारत से बाहर जाने की स्थिति में पुनः प्रवेश पर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ में नाम परिवर्तन के संबंध में वचनबंध होगा और उसे स्वयं को नए बायोमेट्रिक नामांकन के अधीन करना होगा।	

हस्ताक्षर

प्ररूप V

[नियम 22(1)(क) और नियम 24 देखिए]

एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला यात्री और चालक दल का घोषणापत्र

संचालक :

राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रीकरण चिह्न

उड़ान संख्या

तारीख

उड़ान का स्थान :

उतरने का स्थान :

क्रम संख्या	नाम	लिंग	पासपोर्ट संख्या	राष्ट्रीयता
केवल कार्यालय उपयोग के लिए				

[illegible]

1. वाहक का नाम :	
2. अपराध/उल्लंघन के रूप में आरोपित घटना की तारीख और स्थान तथा वायुयान/जलयान/परिवहन के साधन का विवरण :	

3. अपराध/उल्लंघन के रूप में आरोपित कार्य/घटना की प्रकृति/विवरण :	
4. अधिरोपित दंड की राशि :	
5. धारा के अंतर्गत अधिरोपित दंड :	
6. क्या वाहक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया :	हां/नहीं
7. अपील के आधार :	
8. अपील के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज़ :	
9. फ़ाइल संदर्भ संख्या :	
10. द्वारा जारी आदेश :	
11. आदेश जारी किया गया :	

प्ररूप VIII

[नियम 25(1) देखिए]

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (12) के अंतर्गत वाहक द्वारा आप्रवास अधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली सामान्य घोषणा का प्ररूप
सामान्य घोषणा
(जावक/आवक)

संचालक
राष्ट्रीयता और रजिस्ट्रीकरण के चिह्न उड़ान संख्या तारीख
प्रस्थान (स्थान) आगमन (स्थान)

उड़ान मार्ग			
(स्थान स्तंभ में सदैव मूल स्थान, मार्ग में प्रत्येक पड़ाव और गंतव्य को सूचीबद्ध करें)			
स्थान	चालक दल का नाम*	पासपोर्ट संख्या	इस चरण पर यात्रियों की संख्या **
			प्रस्थान स्थान :
			चढ़ना
			उसी उड़ान से यात्रा
			आगमन स्थान :
			उतरना
			उसी उड़ान से यात्रा

<p>स्वास्थ्य की घोषणा</p> <p>हवाई बीमारी या दुर्घटनाओं के प्रभावों के अतिरिक्त अन्य बीमारियों से ग्रस्त विमान में सवार व्यक्तियों का नाम और सीट संख्या या कार्य, जो संचारी रोग (ज्वर, तापमान 38 डिग्री सेल्सियस/100 डिग्री फ़ारेनहाइट या अधिक --- निम्नलिखित में से एक या अधिक संकेतों या लक्षणों से जुड़ा हुआ, जैसे स्पष्ट रूप से अस्वस्थ दिखाई देना) से पीड़ित हो सकते हैं। अस्वस्थता ; लगातार खांसी ; सांस लेने में परेशानी ; लगातार दस्त ; लगातार उल्टी ; त्वचा पर चकते ; बिना किसी पूर्व चोट के चोट या रक्तस्राव ; या हाल ही में आरंभ हुए भ्रम की स्थिति, इस बात की संभावना को बढ़ाती है कि व्यक्ति किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है) और साथ ही पिछले पड़ाव के दौरान उतरे ऐसे रोग के मामले</p> <p>.....</p> <p>उड़ान के दौरान प्रत्येक कीटाणुशोधन या स्वच्छता उपचार (स्थान, तारीख, समय, विधि) का विवरण। यदि उड़ान के दौरान कोई कीटाणुशोधन नहीं किया गया है, तो सबसे हाल के कीटाणुशोधन का विवरण दें</p> <p>.....</p> <p>यदि आवश्यक हो, तो समय और तारीख के साथ हस्ताक्षर करें</p> <p>.....</p> <p>चालक दल का संबंधित सदस्य</p>	
<p>मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस सामान्य घोषणा में और इस सामान्य घोषणा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी पूरक रूप में, निहित सभी कथन और विवरण, मेरी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार पूर्ण, सही और सत्य हैं और सभी यात्री उड़ान में बने रहेंगे/बने रहे हैं।</p> <p>हस्ताक्षर</p> <p>पायलट-इन-कमांड का अधिकृत अभिकर्ता</p>	

दस्तावेज़ का आकार 210 मिमी x 297 मिमी (या 8 ¼ x 11 ¾ इंच)

*राज्य द्वारा अपेक्षित होने पर पूरा किया जाना है

**यात्री घोषणापत्र प्रस्तुत किए जाने पर पूरा नहीं किया जाना है और पूरा किया जाना है

[फा. सं. 25022/03/2025-एफ.।]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2025

G.S.R. 596(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), and in supersession of the Passport (Entry into India) Rules, 1950, the Registration of Foreigners Rules, 1992 and the Immigration (Carriers' Liability) Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I**PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Immigration and Foreigners Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025);
- (b) “biometrics information” means photograph, finger print, iris scan or such other biological attributes of an individual as may be specified by the Central Government;
- (c) “Certificate of Registration” means a Certificate of Registration issued under rule 13;
- (d) “Form” means Forms appended to these rules;
- (e) “residence” means ordinary dwelling place in India.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II**MATTERS RELATED TO IMMIGRATION**

3. Other functions of Immigration Officer.— In addition to the immigration functions, an Immigration Officer shall also carry out the following other functions, namely:—

- (a) regularly monitor functions at the immigration post to meet with the standards set for such immigration post;
- (b) examine cases of immigration fraud;
- (c) co-ordinate with law enforcement agencies and other stakeholders in immigration matters;
- (d) collate and maintain databases relating to immigration; or
- (e) provide guidance and assistance to individuals navigating the immigration process.

4. Other functions of Bureau of Immigration.— In addition to the functions provided in sub-section (1) of section 5 of the Act, the Bureau of Immigration, functioning under the supervision of the Intelligence Bureau, shall also perform the following functions, namely:—

- (a) provide registration services and other visa related services to foreigners;
- (b) implement provisions of the Act, rules, orders and directions made therein by the Central Government;
- (c) co-ordinate with the State Governments or Union territory Administrations and other agencies, on matters related with identification, restriction of movement and deportation of foreigners;

- (d) administer information technology systems and custodian of data on matters related with immigration and foreigners; and
- (e) advise the Central Government on policy matters related to immigration and foreigners.

5. Manner of appointment of officers of Bureau of Immigration.— (1) The Central Government shall appoint the Commissioner, Bureau of Immigration, who shall be an officer of the Intelligence Bureau, on the recommendations of the Director, Intelligence Bureau.

(2) The officers of the Bureau of Immigration, who shall be provided by the Intelligence Bureau, shall be appointed by the Central Government in the manner as may be specified.

6. Other functions of Commissioner of Bureau of Immigration.— In addition to the overall supervision of the immigration functions, the following other functions shall vest in the Commissioner of Bureau of Immigration, namely:—

- (a) the administration, vigilance and provisioning matters of Bureau of Immigration;
- (b) financial matters of Bureau of Immigration; and
- (c) monitoring and supervision of all matters and functions referred to in rules 3 and 4.

CHAPTER III

MATTERS RELATED TO FOREIGNERS

7. Conditions for issuance of other travel document.— (1) Any other travel document issued to an Indian citizen shall conform to the provisions in the Passports Act, 1967 (15 of 1967) and the rules made thereunder.

(2) Any other travel document issued under the authority of the Government of a foreign country on which a foreigner may seek entry into India or transit through India or stay in India or exit from India shall conform to the following conditions, namely: —

- (a) that it shall have been issued or renewed by or on behalf of the Government of the country of which the person to whom it relates is a national and shall be within the period of its validity;
- (b) that it shall have affixed to it a photograph of the person to whom it relates duly authenticated by the authority issuing the travel document; and
- (c) that it shall have an appropriate category of valid visa permitting the foreigner to enter into or transit through or stay in or exit from the territory of India granted by authorities referred to in rule 9.

8. Conditions for issuance of passport.— (1) An Indian passport issued to an Indian citizen shall conform to the provisions in the Passports Act, 1967 (15 of 1967) and rules made thereunder.

(2) Any passport issued under the authority of the Government of a foreign country on which a foreigner may seek entry into India or transit through India or stay in India or exit from India shall conform to the following conditions, namely: —

- (a) that it shall have been issued or renewed by or on behalf of the Government of the country of which the person to whom it relates is a national thereof, and shall be within the period of its validity;
- (b) that it shall have affixed to it a photograph of the person to whom it relates duly authenticated by the authority issuing the passport except in cases where a child below the age of fifteen years has been included in the passport of either of his parents; and
- (c) that it shall have an appropriate category of valid visa permitting the foreigner to enter into or transit through or stay in or exit from the territory of India granted by authorities referred to in rule 9 or it is accompanied by an Overseas Citizen of India Card by persons registered as an Overseas Citizen of India Cardholder under the provisions of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

(3) Nothing contained in clause (c) of sub-rule (2) shall apply to, or in relation to, -

- (a) any category of citizens of South Asian Association for Regional Cooperation Countries, covered by the South Asian Association for Regional Cooperation Countries Visa Exemption Scheme or Visa Liberalisation Scheme provided they are in possession of valid visa endorsement of South Asian Association for Regional Cooperation Countries and respective national passports; and

- (b) citizens or class of citizens of any country or any individual foreigner or class or description of foreigner exempted from the requirement of passport or other travel document and visa under section 33 of the Act.

9. Authority authorised to grant or cancel visa.— (1) A visa permitting a foreigner to enter into or transit through or stay in or exit from the territory of India shall be granted by any of the following authorities, namely:—

- (a) the Central Government in the Ministry of External Affairs including Indian Missions or Consulates abroad; or
- (b) Bureau of Immigration.

(2) The authorities referred to in sub-rule (1) shall cancel the visa or curtail the period of the visa issued against the passport or other travel document.

10. Registration Officer.— (1) The Registration Officer may, with the approval of the Central Government, authorise in writing any officer to perform the duties of the Registration Officer on his behalf.

(2) The Foreigners Regional Registration Officer, the Foreigners Registration Officer and the Immigration Officer at the immigration post shall perform the functions of the Registration Officer.

(3) The Foreigners Registration Officer shall function under the jurisdictional Foreigners Regional Registration Officer for the purpose of the Act, rules, orders and directions.

11. Conditions and manner for foreigners arriving in India to report at immigration post.— (1) Every foreigner on arrival in India shall be required to produce at the immigration post, his passport or other travel document, and visa or Overseas Citizen of India Card or an Electronic Travel Authorisation for the purpose of verification of name, nationality, age, gender and place of birth; and when required by the Immigration Officer, shall furnish to him the address or intended address in India, the purpose of visit and the proposed length of stay in India or any other relevant information.

(2) A foreigner whose biometric information is not available with the Immigration Officer, or has been directed by him to submit his biometric information, shall be required to do so at the immigration post.

12. Conditions and manner for foreigners arriving in India to register with Registration Officer.— (1) For the purpose of registration and to avail of visa services in India, a foreigner shall within fourteen days of his arrival in India submit an application—

- (a) on the mobile application namely, “Indian Visa Su-Swagatam” or by any name or names that may be assigned to such an application from time to time; or
- (b) with the Registration Officer in Form-I on the designated online portal namely, <https://indianfro.gov.in> :

Provided that in case of a foreigner who enters India other than on a visa and if he intends to stay in India, he shall register before expiry of the period permitted for stay on arrival:

Provided further that where a resident citizen of India becomes a foreigner by reason of his having ceased to be a citizen of India, he shall register within thirty days of his ceasing to be citizen of India.

Explanation.— For the purposes of this proviso, the date on which the person concerned shall be deemed to have ceased to be a citizen of India shall be, —

- (a) where he has voluntarily acquired the citizenship of another country by naturalisation or registration, the date of such naturalisation or registration;
- (b) where he has obtained a passport from the Government of any other country, the date on which such passport was obtained; or
- (c) in case of a person in respect of whom an order has been made under sub-section (2) of section 9 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), holding that he had acquired the citizenship of a foreign country, the date of issuance of such order:

Provided also that in case of a foreigner who enters into India on a visa valid for a stay in India for a period of one hundred and eighty days or less and wishes to stay in India beyond a period of one hundred and eighty days, he shall register within fourteen days after the expiry of one hundred and eighty days of his arrival in India:

Provided also that in case of a foreigner who enters India on a visa valid for stay in India for a period of more than one hundred and eighty days with a stipulation that 'each stay shall not exceed one hundred and eighty days' and who wishes to stay in India beyond the period of one hundred and eighty days on any single occasion or in the aggregate in a calendar year, he shall register any time before the expiry of the said period of one hundred and eighty days:

Provided also that in the case of a foreigner who is a citizen of any specified country or belonging to any specified class or classes for whom a different timeline has been specified for registration by a general or special order, such a foreigner shall register with the Registration Officer within the period as specified in the said order.

(2) With regard to children born to foreigners in India (where either or both parents are foreigner), the foreigners concerned shall intimate electronically, the birth of the child to the Registration Officer within thirty days of the birth for availing visa services including grant of new visa and exit permission on the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1).

(3) The Registration Officer may call for any additional information from the foreigner or call the foreigner for a personal interview and for obtaining biometric information at such place and time as he may fix.

(4) No such registration shall be necessary in the case of –

- (a) a foreigner who enters India on a visa valid for a period of not more than one hundred and eighty days and who does not remain in India beyond the said period, unless the endorsement on the visa specifically require him to get himself registered on arrival in India within the period specified in the endorsement;
- (b) a foreigner who enters into India on a visa valid for stay in India for a period of more than one hundred and eighty days with a stipulation that 'each stay shall not exceed one hundred and eighty days' and who does not wish to stay in India beyond the period of one hundred and eighty days on any single occasion or in the aggregate in a calendar year;
- (c) a foreigner who is a child below twelve years of age; and
- (d) a person registered as an Overseas Citizen of India Cardholder under section 7A of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

(5) An Overseas Citizen of India Cardholder who is resident in India shall inform the Registration Officer electronically or through the designated online portal as referred to in clause (b) of sub-rule (1) whenever there is a change in his permanent residential address or occupation.

(6) For the purpose of registration, the address of a foreigner in India shall be –

- (a) the place of his residence; or
- (b) if he has no residence, the place at which, at the time of making his application for registration he is living, or at which he first intends to live after his arrival in India:

Provided that he may, with the prior consent of the person residing in India or a keeper of accommodation, report name and address of such person as his address in India:

Provided further that the foreigner shall inform of his current address to such person or keeper of accommodation:

Provided also that the person concerned or a keeper of accommodation shall furnish all such information in his possession relating to the foreigner as may be demanded by the Registration Officer, Immigration Officer, District Magistrate or police officer not below the rank of Head Constable.

13. Certificate of Registration.— (1) On being satisfied, the Registration Officer, after making such inquiry as he thinks necessary, that the particulars contained in the application made under sub-rule (1) of rule 12 are correct and complete, shall grant a Certificate of Registration to the foreigner.

(2) The Certificate of Registration granted under sub-rule (1) shall indicate the period for which the foreigner is authorised to stay in India and also the place or places of stay in India, if any, specified on the visa.

(3) While granting such Certificate of Registration, the Registration Officer may also restrict the period for which the foreigner is authorised to stay in India and also the places of stay of the foreigner to any of the places specified in the visa.

(4) Every foreigner to whom a Certificate of Registration is issued under sub-rule (1) —

- (a) shall not, if the Certificate of Registration indicates the place or places for stay in India, visit any other place unless he has obtained specific permission from the Registration Officer to visit such other place;

- (b) shall, if the Certificate of Registration indicates the place or places for stay in India, report upon his arrival at, and departure from, any such place to the Registration Officer concerned, within twenty-four hours after his arrival or, as the case may be, before his intended departure; and
- (c) shall, unless the period indicated in the Certificate of Registration is extended by the Registration Officer, depart from India before the expiry of the said period.

14. Production of proof of identity.— (1) Every foreigner shall within twenty-four hours of demand being made of him by Registration Officer, Immigration Officer, District Magistrate or police officer, not below the rank of a Head Constable, produce at such place as may be specified, his passport or other travel documents of his identity as may be required:

Provided that the Registration Officer, Immigration Officer, District Magistrate or police officer not below the rank of Head Constable may, on sufficient cause being shown, extend the aforesaid period of twenty-four hours to a maximum period of seven days, in the circumstances, as may be necessary for the production of the said passport or other travel documents.

(2) Every foreigner entering India shall, on demand being made of him by the Registration Officer or Immigration Officer, deliver his passport or other travel documents to that officer, shall thereafter be present at such time and place as the Registration Officer or Immigration Officer may direct for the purpose of receiving back his passport or other travel documents.

(3) Where in pursuance of sub-rule (2), a foreigner surrenders his passport or other travel documents, he shall be entitled to receive a receipt from the Registration Officer or Immigration Officer, as the case may be.

15. Report of absence from address, change in address or changes in other particulars.— (1) If at any time, a foreigner proposes to be absent from his address for a continuous period of eight weeks or more or he is changing his address, he shall before he leaves, inform the Registration Officer electronically through the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12 of his intention to leave either temporarily or permanently the jurisdiction of the Registration Officer.

(2) In case a foreigner is leaving India, he shall inform the Registration Officer of such date of leaving and in case he is moving away, the change of address shall also be informed to the Registration Officer.

(3) Every foreigner, who stays for a period of more than eight weeks at any place in any district other than the district in which his address is situated, shall inform the Registration Officer of that district electronically of his presence through the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12.

(4) The requirements of the sub-rule (3) shall be deemed to have been fulfilled if, prior to his arrival in a district other than that in which his address is situated, the foreigner furnishes to the Registration Officer of the said district electronically, information of the dates of his proposed arrival and departure therefrom through the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12.

(5) A foreigner shall be deemed to have changed his address—

- (a) if he departs from India;
- (b) if he changes his residence from one place to another place in India;
- (c) if having no residence, he leaves his address knowing that he is not likely thereafter to return thereto within eight weeks of leaving it; or
- (d) in any case to which the first proviso to sub-rule (6) of rule 12 applies, if either he or the person concerned or a keeper of accommodation whose address is deemed to be his address applies to the Registration Officer to be absolved from or fails at any time to discharge the obligations laid upon them by sub-rule (6) of that rule.

(6) Every foreigner shall also furnish particulars of any circumstances affecting in any manner the accuracy of the particulars recorded in his Certificate of Registration within fourteen days after the circumstances have occurred and generally supply to the Registration Officer all such information as may be necessary for maintaining the accuracy of the Certificate.

16. Manner of report by University and Educational Institution or any other institution.— Every University and Educational Institution including school or any other institution, admitting any foreigner, including an Overseas Citizen of India Cardholder, shall furnish to the Registration Officer electronically, the information in respect of foreign students enrolled in their institution in Form II through the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12, within the period mentioned therein and this shall be in addition to the Form III to be submitted in respect students provided with accommodation in a hostel.

17. Manner of report by keeper of accommodation.—(1) Every keeper of accommodation shall require every foreigner, including an Overseas Citizen of India Cardholder, seeking accommodation in his premises to furnish the necessary particulars for recording, and sign, on his arrival at the accommodation, and at the time of his departure, the date and time of his departure and the address to which he is proceeding, which shall be maintained by the keeper of accommodation electronically for a period of at least one year.

(2) The particulars referred to in sub-rule (1) shall at all times be available for inspection, on demand by Registration Officer, District Magistrate or police officer not below the rank of a Head Constable.

(3) All particulars shall be recorded by the keeper of the accommodation in English language, if he is so able, or otherwise, in an Indian language.

(4) If the foreigner does not understand English language, it shall be the duty of the keeper of the accommodation, if so requested, to explain to the foreigner, the requirements of this rule.

(5) The keeper of the accommodation shall, as soon as may be but not beyond twenty-four hours, after the arrival of a foreigner, transmit a copy of duly filled in Form III, specifying the particulars furnished by the foreigner, electronically to the Registration Officer through the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12.

(6) The departure details shall also be transmitted as soon as may be but not beyond twenty-four hours, after departure of the foreigner, electronically to the Registration Officer through the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12.

(7) For the purposes of this rule, —

(a) “accommodation” shall include any boarding house, club, dak-bungalow, rest house, hostel, paying guest house, sarai, rented accommodation, home stay, tents, hospital or other premises of like nature, premises of religious institutions, charitable trusts, any other trusts, public organisations or any other organisations or entity of social or religious or of public nature, furnished or unfurnished; and

(b) “sign” includes in respect of a foreigner who is unable to write, the marking of a thumb impression or other mark by means of which he is accustomed to attest a document.

18. Manner of report by hospital, nursing home or any medical institution.—(1) Every hospital, nursing home or any other medical institution providing medical, lodging or sleeping facility in their premises shall require every foreigner, including an Overseas Citizen of India Cardholder, to furnish the necessary particulars for recording, and sign, on his arrival at such hospital, nursing home or any other medical institution, and at the time of his departure, to furnish the date and time of his departure and the address to which he is proceeding, which shall be maintained by the hospital, nursing home or any other medical institution electronically for a period of one year.

(2) The particulars referred to in sub-rule (1) shall at all times be available for inspection, on demand by Registration Officer, District Magistrate or police officer not below the rank of a Head Constable.

(3) All particulars shall be recorded by the person in charge of hospital, nursing home or any other medical institution in English language, if he is so able, or otherwise, in an Indian language.

(4) If the foreigner does not understand English language, it shall be the duty of the person in charge of hospital, nursing home or any other medical institution, if so requested, to explain to the foreigner, the requirements of this rule.

(5) The person in charge of hospital, nursing home or any other medical institution shall, as soon as may be but not beyond twenty-four hours, after the arrival of a foreigner, transmit a copy of duly filled in Form III, specifying the particulars furnished by the foreigner, electronically to the Registration Officer through the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12.

(6) The departure details shall also be transmitted as soon as may be but beyond twenty-four hours, after departure of the foreigner, electronically to the Registration Officer through the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12.

(7) Every hospital, nursing home or any other medical institution shall furnish information in respect of any children born to foreigners (either or both the parents are foreigner) or death of any foreigner in their place within seven days of the occurrence of the birth or death, as the case may be, electronically to the Registration Officer in the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12.

19. Change of name of a foreigner.—(1) Any foreigner who intends to get his name changed in terms of section 12 of the Act, shall obtain specific permission of the Registration Officer for the change of his name and shall submit an application in Form IV electronically to the Registration Officer in the designated online portal or the mobile application as referred to in sub-rule (1) of rule 12 for change of name.

(2) The Registration Officer may, after due examination of the application filed under sub-rule (1), permit the change of name of the foreigner.

20. Restriction on dispatch of articles to or for foreigner.— No articles such as alcoholic beverages, narcotic substances, explosive and poisonous articles, weapons of any kind, satellite phones, any other contraband items or any other item that may be restricted by the civil authority, shall be dispatched from an outside place to or for a foreigner whose movements are restricted by an order under clause (f) of sub-section (2) of section 7 of the Act.

21. Conditions for exercise of power of civil authority to control places frequented by foreigners.— (1) The civil authority may direct the owner or keeper having control of any premises frequented by foreigners that any premises in its jurisdiction which are used for the sale of refreshments to be consumed on the premises or as a place of public resort or entertainment, or as a club and which are or have recently been frequented by foreigners or used for accommodating an illegal migrant, shall either be closed altogether or kept closed during such hours or for such purposes as may be required by it, if in its opinion —

- (a) the foreigner so frequenting the premises is criminal or is a member of unlawful associations or otherwise undesirable;
- (b) the premises are conducted in a disorderly or improper manner, or in a manner prejudicial to the public good; or
- (c) the foreigner accommodated in the premises is an illegal migrant.

(2) Where any premises have been closed under sub-rule (1), the occupier or person having control of the premises shall not occupy or control any other premises which are used for sale of refreshments, or as a place of public resort or entertainment, or as a club without the consent of the civil authority of the area in which the premises are situated.

(3) Any police officer, if authorised by the civil authority may enter, if necessary, and search or occupy any premises in respect of which directions under sub-rule (1) has been given by the civil authority.

(4) Any directions given by the civil authority shall be reported forthwith to the Central Government.

(5) Any owner or keeper aggrieved by the direction given by the civil authority may prefer an appeal to the Central Government under sub-section (3) of section 14 of the Act.

Explanation.— For the purposes of this rule, illegal migrant shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

CHAPTER IV

OBLIGATION OF CARRIERS

22. Obligation of carrier to provide certain information.— (1) The country representative or station manager of an airline departing or embarking from India to an airport outside India, arriving or landing in India from an airport outside India, shall provide the following information to the civil authority or the Immigration Officer, namely:—

- (a) the passenger and crew manifest in Form V;
- (b) advance passenger information data of passengers on board and crew, within fifteen minutes of leaving or wheels-off of the aircraft from the port of embarkation outside India, and after closure of boarding or wheels-off the aircraft from the port of embarkation within India, as per International Civil Aviation Organisation Annex-9 (Facilitation) data fields and data format UNEDIFACT-PAXLST including passenger information (Name, Gender, Date of Birth and Nationality) and travel document information of passport and visa (type, number, date of issue and expiry), flight and journey information;
- (c) passenger name record data of passengers for arrival in India or for departure from India at T-72 hours, at T-24 hours, at T-08 hours and at T-0 hours, where T is the scheduled time of arrival in India or departure from India, as the case may be, as per International Civil Aviation Organisation Annex-9 (Facilitation) data fields and data format UNEDIFACT-PNRGOV including passenger information (Name, Gender, Date of Birth and Nationality), travel document information of passport and visa (type, number, date of issue and expiry), travel and payment information, flight and journey information.

(2) The country representative or master of a vessel (cargo or cruise or general movement chartered ships) departing or embarking from India to a port or place outside India and arriving or berthing in India from a port or place outside India shall provide the passenger manifest and crew manifest as in Form VI at T-72 hours, where T is the scheduled time of arrival in India or departure from India, as the case may be, to the civil authority or the Immigration Officer.

23. Manner of appeal by carrier.— (1) Any appeal referred to in sub-section (4) of section 17 and sub-section (2) of section 19 of the Act shall be preferred by the carrier or his agent or representative, in electronic mode through the

designated online portal as referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 12 before the Commissioner of Bureau of Immigration in Form VII and shall pay a fee of five thousand rupees through electronic mode or such other mode.

(2) On receipt of the appeal, the Commissioner of Bureau of Immigration, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, shall pass a reasoned order and endeavor to complete the proceedings ordinarily within sixty days from the date of receipt of the appeal.

24. Liability of carrier to furnish information.— Every carrier shall, when required, provide information to the District Magistrate or Commissioner of Police or, where there is no Commissioner of Police, Superintendent of Police or the civil authority or the Immigration Officer, of passenger and crew manifest in Form V or Form VI, as the case may be.

25. General Declaration furnished by carrier to Immigration Officer.—(1) Every carrier shall submit a general declaration to the Immigration Officer in Form VIII prior to the departure of the flight, vessel or other mode of transport at D-45 minutes, where D is the scheduled departure time.

(2) No flight or vessel or other mode of transport shall be permitted by the carrier to depart from a port of place in India until the Immigration Officer has given clearance on such general declaration.

FORM I

[See rule 12(1)(b)]

APPLICATION FOR REGISTRATION

**RECENT
PHOTOGRAPH**

Personal Details	
Surname (as in passport):	
Given Name (as in passport):	
Nationality:	
Passport No.:	
Date of Birth:	
Phone no:	
email—	
Place of Birth:	
Previous Nationality (If any):	
Manner of acquiring present nationality:	
Date of acquiring present nationality: (DD/MM/YYYY)	
Whether holding dual nationality? No Yes	
Whether person of Indian Origin? No Yes	
Address of last residence (Outside India)	
Address:	
City:	
Country:	

Address intended for longer stay in India (Registration)		
Address		
State		
City/District		
Country		
Pin Code		
Phone No.		
Mobile No.		
Any other addresses in India	<input type="checkbox"/>	<i>(Should be mandatory if Check box is checked)</i>
Address		
State		
City/District		
Pin Code		
Phone No.		
Mobile No.		
Organization/Company/Institute/Hospital Details		
Name		
Address		
Phone No.		
Email		
Previous Registration in India details (if any)		
Details of family members/attendants/dependents, if any accompanying		
If accompanying, you	No	Yes
Person to be contacted in case of emergency		
Name		
Relationship		
Address		
City		
Country		
Phone Number		
Have you served in Military/Navy or Air Force or Reserve Force of any country? No Yes		
<i>(After clicking Yes, Organization, Designation, Place of last posting should be filled)</i>		

FORM II

[See rule 16]

FOREIGN STUDENTS INFORMATION SYSTEM

[Earlier Form 'A']

**RECENT
PHOTOGRAPH**

Student Information <i>(to be furnished within 24 hours from the time of admission)</i>	
Passport No.	
Visa No./OCI No.	
Surname	
Given Name	
Date of Birth	
Nationality	
Phone No.	
Email id	
Address in India	
SII Portal No. (Wherever applicable)	
Institution Admission No.	
Date of Joining in Institution	
Sponsoring Agency (if applicable)	
Course Details <i>(to be furnished within 24 hours from the time of admission)</i>	
Course Name	
Course Pattern	Non-Semester/Semester/Short-term
Course Duration	From Date: To date:
Fee Structure	
Registration with FRRO	
Registration Certificate Number	
Change of Course details	
Course Name	
Course Pattern	Non-Semester/Semester/Short-term
Course Duration	From Date: To date:
Fee structure	
Academic Performance Entry <i>(To be furnished Semester-wise; attendance details to be furnished half-yearly)</i>	
Attendance	Regular/Irregular
Examination conducted	Yes/No
Result	Pass/Fail
General Conduct of Student	Good/Bad
Enter details about Conduct	Remark Entry
Eligible to continue Course	Yes/No
Exit Entry (Details of Student Exit from Institution) <i>(to be furnished within 24 hours from the time of completion of the course/ date of exit from the institute/ course)</i>	
Student's Exit Information	Date:
Reason to Exit	Course completed/discontinued by student/terminated

FORM III

[See rules 16, 17 (5) and 18(5)]

[Earlier FORM 'C']

REPORT ON FOREIGNERS ACCOMMODATED OR ADMITTED TO BE FURNISHED BY KEEPER OF ACCOMMODATION AND BY HOSPITAL, NURSING HOME AND OTHER MEDICAL INSTITUTIONS**Photograph**

1. Name & Address of the premise where accommodation is provided:	
2. Phone/Mobile No. of place of stay	
Foreigner details	
i) Name of foreign visitor in Full: (as give in passport)	
ii) Nationality	
iii) Passport Number	
iv) Visa details:	
Visa Number/OCI No.	
Type	
v) Contact Ph. In India	
vi) Email Id.	
vii) Other details/remarks	
Arrival details (check in time)	
i) Arrived from	
ii) Date of arrival	
iii) Time of Arrival	
iv) Purpose of Visit:	Tourism <input type="checkbox"/> Business <input type="checkbox"/> Employment <input type="checkbox"/> Medical <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Conference <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Detai <input type="checkbox"/>
v) Previous place of stay	

Departure details (check out time)	
i) Date of Departure	
ii) Time	
iii) Next Destination/proceed to	

Intimation of birth and death of foreigners by hospitals (within 07 days)	
Information in respect of any children born to foreigners (either or both the parents are foreigner):	
Information in respect of death of any foreigner in their place.	

FORM IV
[See rule 19(1)]
APPLICATION FOR CHANGE OF NAME

**RECENT
PHOTOGRAPH**

1. Name as in the Old Passport	
2. Old Passport number with validity	
3. New Name	
4. New Passport number with validity if any	
5. Type of visa	
6. e-mail	
7. Mobile number	
8. Address in India	
9. Reason for change of name	
Documents in support of change of name	
i) Letter from the embassy endorsing change of name	
ii) Change of name document issued by the competent authority of native country	
iii) Undertaking on re-entry to India in case of exit will be on the change of name in passport or travel document and shall subject himself/herself to fresh bio-metric enrolment.	

Signature

[See rules 22(1)(a) and 24]

Point of disembarkation:

S No	NAME	GENDER	PASSPORT NUMBER	NATIONALITY
FOR OFFICIAL USE ONLY				

[See rules 22(2) and 24]

PASSNENGER AND CREW MANIFEST TO BE FURNISHED BY A VESSEL

PASSENGER LIST

(Modified IMO FAL Form 6)

[illegible]

19. Date and signature by master, authorized Shipping Agent or officer															

CREW LIST
(Modified IMO FAL Form 5)

[] Arrival [] Departure [] Page Number

1.1 Name of ship					1.2 IMO number			1.3 Call sign								1.4 Voyage number	
2. Port of arrival/departure					3. Date of arrival/departure			4. Flag State of ship								5. Last port of call	
Sr. No.	First name	Last name	Rank or Supernumerary	Nationality	Date of birth	Place of birth	Gender	Passport Number	Date of Expiry	Seaman Book Number	Date of Expiry	Visa Number, If Applicable	Date of Expiry, If Applicable	Embarkation		Disembarkation	
														Port	Date	Port	Date
						18. Date and signature by master, authorized agent or officer											

FORM VII

[See rule 23(1)]

FORM FOR SUBMISSION OF APPEAL UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 17 AND SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT

1.	Name of carrier:	
2.	Date & place of occurrence of incident charged as offence/contravention and details of the aircraft/vessel/mode of transport:	
3.	Nature/description of act/incident charged as offence/contravention:	
4.	Amount of penalty imposed:	
5.	Penalty imposed under section:	

6. Whether opportunity for hearing provided to the carrier:	Y/N
7. Grounds for appeal:	
8. Additional document in support of appeal:	
9. File Reference Number:	
10. Order issued by:	
11. Order issued on:	

FORM VIII

[See rule 25(1)]

**FORM OF GENERAL DECLARATION TO BE SUBMITTED BY CARRIER TO IMMIGRATION
OFFICER UNDER SUB-SECTION (12) OF SECTION 17 OF THE ACT**

**GENERAL DECLARATION
(Outward/Inward)**

Operator.....

.....

Marks of Nationality and Registration..... Flight No..... Date.....

Departure from..... Arrival

at.....

(Place)

(Place)

FLIGHT ROUTING ("Place Column always to list origin, every en-route stop and destination")			
PLACE	NAME OF CREW*	PASSPORT NO.	NUMBER OF PASSENGERS ON THIS STAGE**
			Departure Place:
			Embarking.....
		
			Through on same flight.....
			Arrival Place:
			Disembarking.....
		
			Through on same flight.....
Declaration of Health Name and Seat number or function of persons on board with illnesses other than air-sickness or the effects of accidents, who may be suffering from communicable disease (a fever temperature 38 ⁰ C/100 ⁰ F or greater--- associated with one or more of the following signs or symptoms, e.g. appearing obviously unwell; Persistent coughing; impaired breathing; Persistent Diarrhea; Persistent vomiting; skin rash; bruising or bleeding without previous injury; or confusion of recent onset, increases the likelihood that the person is suffering a communicable disease) as well as such cases of illness disembarked during a previous stop			

Details of each disinfecting or sanitary treatment (place, date, time, method) during the flight. If no disinfecting has been carried out during the flight, give details of most recent disinfecting..... ... Signed, if required with time and date..... Crew member concerned	
I declare that all statements and particulars contained in this General Declaration, and in any supplementary forms required to be presented with this General Declaration, are complete, exact and true to the best of my knowledge and that all through passengers will continue/have continued on the flight. SIGNATURE..... Authorized Agent of Pilot-in-command	

Size of document to be 210mm x297mm (or 8 ¼ x 11 ¾ inches)

* To be completed when required by the State

** Not to be completed when passenger manifests are presented and to be completed

[F. No.25022/03/2025-F.I]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.